**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 2932**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**लंबित ओ सी आई आवेदन**

**2932. महंत शम्भुप्रसादजी तुंदियाः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार के पास गत तीन वर्षों के दौरान यूनाइटेड किंगडम में प्रवासी भारतीय नागरिकता हेतु लंबित आवेदनों के बारे में कोई जानकारी है;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) प्रवासी भारतीय नागरिकता के आवेदनों को लंबित रखने के क्या कारण हैं; और**

**(घ) लंबित आवेदनों को ओ सी आई कार्ड प्रदान करने की योजना का ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)**

(क) और (ख): जी, हां। विगत तीन वर्षों से ब्रिटेन में अवस्थित भारतीय मिशनों में भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड प्रदान करने के कुल 856 आवेदन लंबित हैं।

(ग) और (घ): भारतीय मूल के आधार पर ओसीआई आवेदन के लिए, विदेश स्थित भारतीय मिशनों को यह शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं कि यदि आवेदन की पावती की तारीख से 20 दिनों के अंदर सुरक्षा एजेंसियों की टिप्पणियां/अनापत्ति अपलोड नहीं की जाती है, तो संबंधित भारतीय मिशन, प्रारंभिक संवीक्षा के पश्चात आवेदक के विरूद्ध कोई प्रतिकूल सूचना न होने पर पावती की तारीख से 30 दिनों के अन्दर उस व्यक्ति को ओसीआई कार्डधारक के

-2-

राज्य सभा अता. प्रश्न संख्या 2932

रूप में पंजीकृत करेगा। जहां तक जीवनसाथी के आधार पर ओसीआई आवेदनों का संबंध है, आवेदन मुख्य रूप से आवेदकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण की लंबित हैं।

विदेश मंत्रालय से निर्धारित समय सीमा के अनुसार भारतीय मूल के लंबित ओसीआई मामलों में निर्णय लेने के लिए ब्रिटेन स्थित अपने मिशनों को संवेदनशील बनाने का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय से, जीवनसाथी आधारित मामलों में आवेदकों से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने तथा यथाशीघ्र इसे अपलोड करने के लिए अपने मिशनों को निदेश देने का भी अनुरोध किया गया है।

\*\*\*\*\*